न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 23/14

बउनवान

1. असगर अली पुत्र अब्दुल रहमान जाति फकीर निवासी वार्ड नं0 5 मांगरोल जिला बारां (वादी)

बनाम

1. अलीमुद्दीन पुत्र श्री अब्दुल बशीर जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 9 मांगरोल जिला बारां जर्ये अध्यक्ष वक्फ कमेटी तहसील मांगरोल जिला बारां
2. बिन्दु खां पुत्र इस्हाक खान जाति पठान निवासी सिपाही मोहल्ला मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां
3. खलील पुत्र अजीम खान जाति पठान निवासी सिपाही मौहल्ला मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :–1. श्री महेन्द्र सिंह हाडा (वादी)
2.श्री अजित कुमार जैन (प्रतिवादीगण)

अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता

दिनाक 21.06.2022

आदेश/निर्णय

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के मद नं0 1 में विवादीत आराजी मस्जिद सिपाहीन मांगरोल केयर ऑफ वक्फ बोर्ड राजस्थान के खाते दर्ज होना बताया है तथा वाद पत्र में सिपाहीन मांगरोल केयर ऑफ वक्फ बोर्ड राजस्थान को पक्षकार नही बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार है तथा वक्फ संपत्ति का संचालन वक्फ कमेटी ही करती है जिसका निर्धारण वक्फ बोर्ड द्वारा होता है। वक्फ संपत्तियों का विवाद सुनने का क्षेत्राधिकार केवल वक्फ न्यायालय जयपुर को ही है इसलिए

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

क्त वाद विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नही किये जाने से वाद खारिज किये जाने योग्य है। मद नं0 2 में वादी का उक्त भूमि से कोई वास्ता या संबंध नही होना बताया है ना ही कभी वादी उक्त मस्जिद की सेवा चाकरी की क्योकि वादी वार्ड नं0 05 मे निवास करता है जबकि मस्जिद वार्ड नं0 20 में स्थित है।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मद नं0 1 मे विवादित आराजी मस्जिद सिपाहियान केयर ऑफ वक्फ बोर्ड राजस्थान के नाम से दर्ज होना स्वीकार किया तथा शेष अस्वीकार किया । मद नं0 2 अस्वीकार किया।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष बहस, दस्तावेज एवं तथ्यो का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी संवत 2010 से 2013 में आराजी खसरा नं0 2558 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कस्बा मांगरोल खातेदार के रूप मे माफी मस्जिद सिपाहीयान कब्जा अब्दुल रहमान दर्ज था एवं जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में भी आराजी खसरा नं0 2558 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कस्बा मांगरोल खातेदार के रूप मे माफी मस्जिद सिपाहीयान कब्जा अब्दुल रहमान दर्ज था। वकील वादी द्वारा भी प्रार्थना पत्र के जवाब मे भी विवादित आराजी मस्जिद सिपाहीयान केयर ऑफ वक्फ बोर्ड राजस्थान के नाम से दर्ज होना स्वीकार किया है।

वक्फ एक्ट- 1995 की धारा 85 के अन्तर्गत वक्फ संपत्तियों के मामले से संबंधित वाद में विधिक कार्यवाही राजस्व न्यायालयों नही की जा सकती । वक्फ संपत्ति से संबंधित वाद सुनने का क्षेत्राधिकार केवल वक्फ न्यायालय जयपुर को ही है। सिविल प्रकिया संहिता 1908 आदेश 7 नियम 11 (घ) **"जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है** तो **वाद नामंजूर किया जाता है "**। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner